प्रमाण पत्र
प्रदर्श–''स''

पुलिस अधीक्षक कोण्डागॉव, जिला कोण्डागॉव (छ0ग0) द्वारा फायरिंग रेंज हेतु ग्राम चिखलपुटी, तहसील कोण्डागांव जिला में दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल के ग्राम **चिखलपुटी** के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु **5.000 हेक्टे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **5.000 हेक्टे0** एवं /राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है। तथा ग्राम **चिखलपुटी**, तहसील कोण्डागांव में स्थित है. में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **03.10.2015** (**प्रदर्श–'' अ**'') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–''ब'')** पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव सरपंच ग्राम पंचायत **चिखलपुटी के अध्यक्षता में हुई । बैठक दिनांक 03.10.2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें** 70 प्रतिशत सदस्यों उपस्थित थे, जिनका परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 मे0)
01	चिखलपुटी	–	–

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **03.10.2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार'' अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006'' की धारा–3(1) (e) अन्तर्गत विशेष रुप से संरक्षित रखना है । **03.10.2015** के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है, कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम– 2006 की धारा–3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

05/11/2015

कलेक्टर एवं
अध्यक्ष जिला वन अधिकार समिति
जिला कोण्डागॉव